राजस्व लोक अदालत मुकाम कासोरिया तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

– 154/2015

उनवान

जीवण पिता भूवाना गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(प्रार्थी)

बनाम

न्यारा पिता रामा बैरवा नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
सनसुख पिता माधु उपाध्याय नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
रामचन्द्र पिता भुरा गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
प्रेमचन्द्र पिता माधु ब्राहमण नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
गोकल पिता उदा गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
शिव पिता नन्दा गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
गोपाल पिता मुला गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
मुली पत्नि रामा गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
बालु पिता रेमता गुर्जर नि0 कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 14.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्याय मे दिनांक 10.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार ग्राम कासोरिया पटवार क्षैत्र कासोरिया भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि **खाता 144 के आ0न0 212, 379, 380, 1071 कुल किता 04 कुल रकबा 15–12 बीघा** स्थित हैं। उक्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कासोरिया मे दिनांक 14.05.2016 को दर्ज किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना । इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

ग्राम कासोरिया पटवार क्षैत्र कासोरिया भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि **खाता 144 के आ0न0 212, 379, 380, 1071 कुल किता 04 कुल रकबा 15–12 बीघा** की पत्थरगढ़ी साथ पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस –/– रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कासोरिया मे सरे इजलास सुनाया

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा